हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

राज कुमार

8 जनवरी, 2018

न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. भानुमती और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त और मृतका का संयुक्त परिवार में साथ-साथ रहना, अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करने के पश्चात् अपने साथ ले जाना – उसे अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा जाना और फिर उसका गायब हो जाना और मृत पाया जाना तथा अभियुक्त द्वारा उसकी गुमशुदगी के बारे में पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज न कराना और उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में युक्तियुक्त स्पष्टीकरण न देना, ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर संचयी रूप से विचार करने पर एक पूर्ण शृंखला बनती है और यह इंगित होता है कि हत्या अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी, किसी अन्य द्वारा नहीं ।

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका मीना देवी के पति का घटना से लगभग 11 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था और वह अविभक्त कुटुंब के मकान में अपने पुत्र (अभि. सा. 1), पुत्री (अभि. सा. 2) और अभियुक्त राजकुमार (देवर) के साथ रह रही थी । तारीख 23 अगस्त, 2007 को जब मीना देवी अपने परिवार के साथ भोजन कर रही थी, तब प्रत्यर्थी-अभियुक्त शराब के नशे में वहां आया और मीना देवी तथा उसके बालकों को किसी कारण के बिना गालियां देने लगा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी । अभि. सा. 1 की दादी-बर्फी देवी, जो मकान में मौजूद थी, जीवन लाल (अभि. सा. 1) को पास ही के शयन कक्ष में ले गई और कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी । उसने मृतका की पुत्री रेखा देवी (अभि. सा. 2) को अपने मामा अनंत राम (अभि. सा. 3) के मकान पर जाने के लिए कहा । अभि. सा. 1 जब कमरे के अंदर था, तब उसने अपनी माता मीना देवी की चिल्लाने की आवाज सुनी और उसने खिड़की से प्रत्यर्थी-अभियुक्त को अपनी माता को एक अन्य अभियुक्त के मकान की ओर ले जाते हुए

देखा । कुछ घंटों के पश्चात्, अभियुक्त ने दरवाजा खोला और उसे बताया कि उसकी माता घर से भाग गई है और वह इस बात को अपने मामा अनंत राम (अभि. सा. 3) को बताए । प्रत्यर्थी-अभियुक्त और एक अन्य अभियुक्त रमेश कुमार की इस धमकी के कारण अभि. सा. 1 ने अपने मामा (अभि. सा. 3) को बताया कि उसकी माता घर से भाग गई है । अनंत राम अभियुक्त के मकान पर आया । उसके पश्चात्, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 धर्मपुर पुलिस थाने गए और मीना देवी के गुम हो जाने के बारे में पुलिस को सूचित किया । अनंत राम (अभि. सा. 3) को नेक राम से यह सूचना देते हुए एक फोन कॉल प्राप्त हुई कि मृतका मीना देवी का शव घाट बाहु जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ पाया है । उसके पश्चात्, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर गए और यह पाया कि मीना देवी का शव उसके गले में बंधी एक प्लास्टिक की रस्सी के साथ एक देवदार के पेड़ की शाखा से लटका हुआ था । अभि. सा. 1 का कथन अभिलिखित किया गया, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 201 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त राजकुमार को अभिरक्षा में लिया गया और उससे परिप्रश्न किए गए । अभियुक्त का संस्वीकृति कथन अभिलिखित किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, अभियुक्त राजकुमार, रमेश कुमार, ओम प्रकाश और बर्फी देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 201 के अधीन आरोप-पत्र फाइल किया गया । सेशन न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए प्रश्नो में अभियुक्त ने अपराध में आलिप्त करने वाली सभी परिस्थितियों और साक्ष्य से इनकार किया और यह अभिवाक् किया कि वह निर्दोष है । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतका मीना देवी की मृत्यु के लिए अभियुक्त द्वारा कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो प्रत्यर्थी-अभियुक्त के साथ संयुक्त रुप से रह रही थी । इन निष्कर्षों के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित 302 और 201 के अधीन दोषसिद्ध किया और उसे आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया । अन्य अभियुक्त रमेश कुमार और प्रकाश को दोषमुक्त कर दिया गया । अभियुक्त बर्फी देवी भगौड़ा रही । अभियुक्त द्वारा फाइल की गई अपील में उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि मृतका के पुत्र जीवन लाल (अभि. सा. 1) ने न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में अभिसाक्ष्य देते समय सम्पूर्ण घटना का वर्णन करते हुए

सुधार किए थे और इसलिए अभि. सा. 1 विश्वसनीय साक्षी नहीं है और उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए कि अभियोजन का पक्षकथन गंभीर खामियों से ग्रस्त है, प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा फाइल की गई दांडिक अपील मंजूर की और तद्द्वारा दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश को अपास्त कर दिया । राज्य ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मीना देवी (मृतका) अपने बालकों सहित अपने देवर/अभियुक्त के साथ रह रही थी । यदि मीना देवी गुम हो गई थी, तो अभियुक्त का स्वाभाविक आचरण यह था कि वह पुलिस के साथ-साथ अनंत राम (अभि. सा. 3) को भी सूचित करता । किंतु ऐसा नहीं किया गया था । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को देखते हुए, यह भार अभियुक्त पर चला जाता है कि वह गृह-वासी होने के कारण तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण देता कि मीना देवी की मृत्यु कैसे हुई । अभियुक्त द्वारा कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसने क्यों न तो शिकायत दर्ज की और न ही मीना देवी के गुम होने के बारे में सूचित किया । प्रत्यर्थी-अभियुक्त गृह-वासी होने के कारण मात्र चुप्पी साध कर और कोई स्पष्टीकरण न देकर बच नहीं सकता है । यह प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपराध में आलिप्त करने वाली एक मजबूत प्रतिकूल परिस्थिति है जिससे यह उपदर्शित होता है कि वह अपराध करने के लिए उत्तरदायी था । अभियुक्त से संबद्ध हेतु यह है कि वह प्रायिक तौर पर मृतका के साथ झगड़ा करता रहता था और उस पर हमला करता रहता था । किसी स्वामी नामक व्यक्ति कि भूमि से संबंधित विवाद को भी इंगित किया गया है, जो अपनी संपत्ति एकमात्र रुप से मृतका मीना देवी को देना चाहता था और यह बात अभियुक्त को स्वीकार्य नहीं थी । इसके अलावा, अभियुक्त से संबंद्ध एक अन्य हेतु उसका 1,20,000/- रुपए की सावधि जमा, जो तारीख 13 अगस्त, 2007 को मृतका को देय हो गई थी, के लिए लालच था । मृतका की ननद, अभि. सा. 15-बिंद्रा देवी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रुप से यह कथन किया कि जब कभी मीना देवी उसके घर आती थी, तो मीना देवी उसे अभियुक्त राजकुमार द्वारा उसे दी गई यातना के बारे में बताती थी । बिंद्रा देवी (अभि. सा. 15) ने अभियुक्त से संबंद्ध हेतु के बारे में स्पष्ट रुप से कथन किया है । अभि. सा. 15 के साक्ष्य से यह पता चलता है कि अभियुक्त राजकुमार एक पुराना शराबी है । पहले भी प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने

मीना देवी की पिटाई की थी और उसका मीना देवी के साथ उसे यह आश्वासन देते हुए एक समझौता हुआ था कि वह भविष्य में उसके साथ मारपीट नहीं करेगा । अभियुक्त से संबंद्ध हेतु के बारे में अभि. सा. 15 के साक्ष्य का उच्च न्यायालय द्वारा उचित रुप से मूल्यांकन नहीं किया गया है । जीवन लाल (अभि. सा. 1) ने अभियुक्त द्वारा 23 अगस्त, 2007 की रात्रि में मीना देवी पर हमला करने और उसके पश्चात् अभियुक्त तथा ओम प्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा अभि. सा. 1 को धमकी देने के बारे में स्पष्ट रुप से कथन किया है । विचारण न्यायालय ने, जिसके पास साक्षियों को देखने और उनके हाव-भाव का अवलोकन करने का अवसर था, यह अभिनिर्धारित किया है कि जीवन लाल (अभि. सा. 1) एक विश्वसनीय साक्षी है । जबकि उच्च न्यायालय ने जीवन लाल (अभि. सा. 1) के वृत्तांत पर इस आधार पर संदेह करके ठीक नहीं किया है कि अभि. सा. 1 ने अपने वृत्तांत में सुधार किए हैं । जीवन लाल (अभि. सा. 1) ने तारीख 25 अगस्त, 2007 के अपने कथन (प्रदर्श पी/ए) में अपराध कारित करने में अभियुक्त सं. 2 और 3 अर्थात् रमेश कुमार और ओम प्रकाश के भागीदार होने के संबंध में प्रकटन नहीं किया है । जीवन लाल (अभि. सा. 1) के साक्ष्य पर केवल इस कारण संदेह नहीं किया जा सकता है कि तारीख 25 अगस्त, 2007 को पेड़ से लटके मीना देवी के शव को उतारने के तुरंत पश्चात् अभिलिखित किए गए उसके कथन में रमेश कुमार और ओम प्रकाश के नामों का उल्लेख नहीं है । उस समय अभि. सा. 1 जिन परिस्थितियों में था, उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए । अभि. सा. 1 की आयु केवल 19 वर्ष थी । तारीख 23 अगस्त, 2007 की रात्रि में उसने अपनी माता के चिल्लाने की आवाजें सुनी थी जब उसकी पिटाई की गई थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 चौबीस घंटे से भी अधिक समय से अर्थात् तारीख 24 अगस्त, 2007 से 25 अगस्त, 2007 तक उसकी तलाश कर रहे थे और उन्हें उसे केवल मृत्त पाया था । अभि. सा. 1 को अभियुक्त ओम प्रकाश द्वारा पहले ही यह धमकी दी गई थी कि अनंत राम (अभि. सा. 3) को यह सूचित करे कि मीना देवी भाग गई है । तारीख 25 अगस्त, 2007 को जब अभि. सा. 1 का कथन अभिलिखित किया गया था, तब वह अवश्य ही सदमे और भय की मनोवृत्ति में होगा । ऐसी परिस्थितियों में, अपने कथन में ओम प्रकाश और रमेश कुमार के नामों का उल्लेख करने में हुए लोप से अभि. सा. 1 का साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता है । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने के

उपरांत यह मत व्यक्त किया है कि अभि. सा. 1 के साक्ष्य से न्यायालय का विश्वास प्रेरित होता है । जबकि, इस न्यायालय के मत में, उच्च न्यायालय को अभि. सा. 1 के वृत्तांत और उसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं करना चाहिए था । किसी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय, अवश्य ही यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि साक्षी का साक्ष्य, समग्र रुप से परिशीलन करने पर, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विश्वासप्रद प्रतीत होता है या नहीं । जब एक बार यह धारणा बन जाती है, तब न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की संवीक्षा, विशिष्ट रुप से साक्ष्य में उल्लिखित त्रुटियों और कमियों को ध्यान में रखते हुए, करे और यह पता लगाने के लिए उनका मूल्यांकन करे कि क्या यह अभियोजन पक्ष के साधारण पक्षकथन के विरुद्ध तो नहीं है । जीवन लाल (अभि. सा. 1) मृतका मीना देवी का पुत्र है जो उसके और अभियुक्त के साथ उसी मकान में रह रहा था और वह घटना के बारे में कथन करने के लिए एक स्वाभाविक साक्षी है । अभि. सा. 1 का साक्ष्य निश्चयात्मक और स्वाभाविक है और अभियोजन पक्षकथन के संगत है । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर उसके द्वारा किए गए अभिकथित सुधारों के आधार पर संदेह करके और इस आधार पर उसके साक्ष्य को नामंजूर करके ठीक नहीं किया है कि उसमें कई सुधार किए गए हैं । जैसा कि सेशन न्यायाधीश द्वारा उल्लेख किया गया है, मृतका मीना देवी अंतिम बार अभियुक्त राजकुमार के साथ जीवित देखी गई थी और अभियुक्त ने मृतका मीना देवी की गुमशुदगी के बारे में समाधानप्रद रुप से स्पष्टीकरण नहीं दिया है और यह बात अभियुक्त के विरुद्ध एक मजबूत प्रतिकूल परिस्थिति है । मीना देवी, जो अभियुक्त के साथ उसी मकान में रह रही थी, और अंतिम बार अभियुक्त के साथ जीवित देखी गई थी, इसलिए उसको यह स्पष्ट करना चाहिए था कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई । अभियुक्त के पास कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं था कि मीना देवी का शव पेड़ से लटकते हुए क्यों पाया गया था । प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष ने तकपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा इन परिस्थितियों को सिद्ध किया है – (i) हेतु (अभि. सा. 15 का साक्ष्य) ; (ii) अभियुक्त ने मृतका की पिटाई की थी और कहीं ले गया था (अभि. सा. 1 का साक्ष्य) ; (iii) मीना देवी की मृत्यु मानव-वध है (अभि. सा. 24 का साक्ष्य) ; (iv) मृतका मीना देवी की गुमशुदगी के बारे में पुलिस को रिपोर्ट न करने में अभियुक्त का आचरण ; और (v) मृतका की मृत्यु के बारे में अभियुक्त के स्पष्टीकरण का अभाव ।

अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियां तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित की गई हैं । परिस्थितियों पर संचयी रुप से विचार करने पर एक पूर्ण श्रृंखला बनती है, जिससे इंगित होता है कि हत्या अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी, किसी अन्य द्वारा नहीं । अपील में, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य, अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य के अंतनिर्हित महत्व और अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध की गई प्रबल परिस्थितियों का उचित रुप से मूल्यांकन नहीं किया है । उच्च न्यायालय ने काल्पनिक संदेहों को ग्रहण किया है और जीवन लाल (अभि. सा. 1) के विश्वसनीय साक्ष्य को कमजोर आधारों पर नामंजूर किया है । उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का गलत मूल्यांकन करने के कारण दोषसिद्धि को अपास्त किया और न्याय की हानि की है । अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्काधार असंधार्य है और आक्षेपित निर्णय को संधार्य नहीं रखा जा सकता है । (पैरा 12, 13, 14, 15, 18 और 19)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2006]	(2006) 10 एस. सी. सी. 681 : **त्रिमुख मरोती किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	10
[2006]	(2006) 12 एस. सी. सी. 254 : **राजस्थान राज्य** बनाम **काशीराम** ;	10
[2002]	(2002) 1 एस. सी. सी. 731 : **गणेश लाल** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	10
[2000]	(2000) 1 एस. सी. सी. 471 : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **सुरेश** ;	10
[1998]	(1998) 8 एस. सी. सी. 679 : **तमिलनाडु राज्य** बनाम **राजेन्द्रन** ।	10

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 31.

2008 की दांडिक अपील सं. 559 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 19 अगस्त, 2014 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री डी. के. ठाकुर, अपर महाधिवक्ता, शरीक अहमद और वरिन्दर कुमार शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री जोस अब्राहम और रुचिर बत्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. भानुमती ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) भानुमती – इजाजत दी गई ।

2. राज्य द्वारा फाइल की गई इस अपील में 2008 की दांडिक अपील सं. 559 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश को अपास्त करते हुए दोषमुक्त किया गया है ।

3. मृतका मीना देवी के पति का घटना से लगभग 11 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था । मीना देवी अविभक्त कुटुंब के मकान में अपने पुत्र जीवन लाल (अभि. सा. 1), पुत्री रेखा देवी (अभि. सा. 2) और अभियुक्त राजकुमार (देवर) के साथ रह रही थी । तारीख 23 अगस्त, 2007 को 8.30 बजे पूर्वाह्न में जब मीना देवी अपने परिवार के साथ भोजन कर रही थी, तब प्रत्यर्थी-अभियुक्त शराब के नशे में वहां आया और मीना देवी तथा उसके बालकों अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को किसी कारण के बिना गालियां देने लगा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी । अभि. सा. 1 की दादी-बर्फी देवी, जो मकान में मौजूद थी, जीवन लाल (अभि. सा. 1) को पास ही के शयन कक्ष में ले गई और कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी । उसने मृतका की पुत्री रेखा देवी (अभि. सा. 2) को अपने मामा अनंत राम (अभि. सा. 3) के मकान पर जाने के लिए कहा । अभि. सा. 1 जब कमरे के अंदर था, तब उसने अपनी माता मीना देवी की चिल्लाने की आवाज सुनी और उसने खिड़की से प्रत्यर्थी-अभियुक्त को अपनी माता को एक अन्य अभियुक्त के मकान की ओर ले जाते हुए देखा । कुछ घंटों के पश्चात्, अभियुक्त ने दरवाजा खोला और उसे बताया कि उसकी माता घर से भाग गई है और वह इस बात को अपने मामा अनंत राम (अभि. सा. 3) को बताए । प्रत्यर्थी-अभियुक्त और एक अन्य अभियुक्त रमेश कुमार की इस धमकी के कारण अभि. सा. 1 ने अपने मामा (अभि. सा. 3) को

बताया कि उसकी माता घर से भाग गई है । तारीख 24 अगस्त, 2007 को लगभग 2.00 बजे पूर्वाह्न में अनंत राम (अभि. सा. 3) अभियुक्त के मकान पर आया । उसके पश्चात्, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 धर्मपुर पुलिस थाने गए और मीना देवी के गुम हो जाने के बारे में पुलिस को सूचित किया । वे तारीख 25 अगस्त, 2007 को लगभग 11.00-11.30 बजे अपराह्न में पुनः पुलिस थाना, धर्मपुर गए और उस समय अनंत राम (अभि. सा. 3) को नेक राम से यह सूचना देते हुए एक फोन कॉल प्राप्त हुई कि मृतका मीना देवी का शव घाट बाहु जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ पाया है । उसके पश्चात्, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर गए और यह पाया कि मीना देवी का शव उसके गले में बंधी एक प्लास्टिक की रस्सी के साथ एक देवदार के पेड़ की शाखा से लटका हुआ था । अभि. सा. 1 का कथन अभिलिखित किया गया, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 201 के अधीन 2007 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 250 में मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

4. आरंभिक अन्वेषण पुलिस उप-निरीक्षक, सत प्रकाश (अभि. सा. 20) द्वारा किया गया और इसके आगे अन्वेषण पुलिस निरीक्षक, एल. आर. ठाकुर (अभि. सा. 22) द्वारा किया गया । अभि. सा. 22 ने स्थल नक्शा, मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और आगे अन्वेषण किया । डा. विवेक बनयाल (अभि. सा. 24) ने शव-परीक्षा की और यह राय व्यक्त की कि "....मृत्यु, प्लीहा के विदारित होने के कारण गलघोटू सदमे के कारण हुई थी और मृत्यु-पूर्व की क्षतियों से मुंह में कपड़ा ठुंसकर बंद करने का सुझाव मिल रहा है । उसे मृत्यु उपरांत लटकाया गया था ।" अभियुक्त राजकुमार को तारीख 25 अगस्त, 2007 को अभिरक्षा में लिया गया और उससे परिप्रश्न किए गए । अभियुक्त का संस्वीकृति कथन तारीख 27 अगस्त, 2007 को अभिलिखित किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त रमेश कुमार के मकान के कमरे से एक कुर्ती बरामद की गई जो निर्माणाधीन थी । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, अभियुक्त राजकुमार, रमेश कुमार, ओम प्रकाश और बर्फी देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 201 के अधीन आरोप-पत्र फाइल किया गया ।

5. सेशन न्यायालय में अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 24 साक्षियों की परीक्षा की और कई सारे

प्रदर्श तथा तात्विक वस्तुएं चिन्हित कीं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए प्रश्नो में अभियुक्त ने अपराध में आलिप्त करने वाली सभी परिस्थितियों और साक्ष्य से इनकार किया और यह अभिवाक् किया कि वह निर्दोष है । अभियुक्त ने मृतका मीना देवी की मृत्यु के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया ।

6. विचारण न्यायालय ने अनंत राम (अभि. सा. 3) और बिन्द्रा देवी (अभि. सा. 15) के साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि मीना देवी को उसके देवर (प्रत्यर्थी-अभियुक्त) द्वारा तंग किया जाता था । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतका के पुत्र जीवन लाल (अभि. सा. 1) ने मृतका की पिटाई करने और मीना देवी को मकान से ले जाने के अभियुक्त के स्पष्ट-कृत्य के बारे में कथन किया है । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतका मीना देवी की मृत्यु के लिए अभियुक्त द्वारा कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो प्रत्यर्थी-अभियुक्त के साथ संयुक्त रूप से रह रही थी । इन निष्कर्षों के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 201 के अधीन दोषसिद्ध किया और उसे आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया । अन्य अभियुक्त रमेश कुमार और ओम प्रकाश को दोषमुक्त कर दिया गया । अभियुक्त बर्फी देवी भगौड़ा रही ।

7. अभियुक्त द्वारा फाइल की गई अपील में उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि मृतका के पुत्र जीवन लाल (अभि. सा. 1) ने न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में अभिसाक्ष्य देते समय सम्पूर्ण घटना का वर्णन करते हुए सुधार किए थे और इसलिए अभि. सा. 1 विश्वसनीय साक्षी नहीं है । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि विवाद के संबंध में अस्पष्ट प्रकथन किए गए हैं, किंतु अभियुक्त को मृतका मीना देवी की हत्या कारित करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट हेतु से संबद्ध नहीं किया गया है । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए कि अभियोजन का पक्षकथन गंभीर खामियों से ग्रस्त है, प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा फाइल की गई दांडिक अपील मंजूर की और तद्द्वारा दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश को अपास्त कर दिया । राज्य व्यथित होकर हमारे समक्ष अपील में आया है ।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और आक्षेपित निर्णय

तथा अभिलेख पर सामग्री का परिशीलन किया ।

9. अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । यह भली-भांति स्थिर है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में जिन परिस्थितियों से दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है, वे अवश्य ही तर्क पूर्ण रूप से और मजबूती से सिद्ध की जानी चाहिएं और वे परिस्थितियां अभियुक्त की दोषिता को अचूक रूप से इंगित करते हुए निश्चयात्मक प्रकृति की होनी चाहिएं । इसके अलावा, सभी परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर एक पूर्ण शृंखला बननी चाहिए और साक्ष्य की शृंखला में कोई दरार नहीं रहनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, साबित परिस्थितियां अवश्य ही केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत और उसकी निर्दोषिता के प्रति पूर्णतः असंगत होनी चाहिएं ।

10. पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में, दोषिता का निष्कर्ष केवल तब निकाला जा सकता है जब अपराध में आलिप्त करने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषिता के बेमेल पाए गए हों । **त्रिमुख मरोती किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "12. ....पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में प्रसामान्य सिद्धांत यह है कि वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है, अवश्य ही तर्क पूर्ण रूप से और मजबूती से सिद्ध की जानी चाहिएं ; वे परिस्थितियां निश्चायक प्रवृत्ति की होनी चाहिएं जो अचूक रूप से अभियुक्त की दोषिता को इंगित करती हों ; परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर इतनी पूर्ण शृंखला बननी चाहिए कि अवश्य ही ऐसा निष्कर्ष निकले कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यताओं में अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और उन परिस्थितियों में अभियुक्त की दोषिता के सिवाय और उसकी निर्दोषिता के असंगत किसी प्रकार की परिकल्पना का स्पष्टीकरण न दिया जा सकता हो ।"

राजस्थान राज्य बनाम **काशीराम**[2], **गणेश लाल** बनाम **राजस्थान राज्य**[3],

---

[1] (2006) 10 एस. सी. सी. 681.

[2] (2006) 12 एस. सी. सी. 254.

[3] (2002) 1 एस. सी. सी. 731.

महाराष्ट्र राज्य बनाम **सुरेश**[1] और **तमिलनाडु राज्य** बनाम **राजेन्द्रन**[2] वाले मामलों में इसी सिद्धांत को दोहराया गया था ।

11. मीना देवी अपने पति की मृत्यु के पश्चात् अभियुक्त राजकुमार सहित अपने बालकों अर्थात् जीवन लाल (अभि. सा. 1) और रेखा देवी के साथ संयुक्त परिवार में रह रही थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि प्रत्यर्थी तारीख 23 अगस्त, 2007 को शराब के नशे की हालात में आया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी । जीवन लाल (अभि. सा. 1) ने, जो मृतका मीना देवी का पुत्र है, स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि उसने अपनी माता के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी और अभियुक्त को उसकी माता को अभियुक्त ओम प्रकाश के मकान की ओर ले जाते हुए देखा था । तारीख 25 अगस्त, 2007 को मीना देवी का शव निकटवर्ती जंगल में देवदार के पेड़ से लटकते हुए पाया गया था । अभि. सा. 24 डा. विवेक बनयाल ने, जिसने शव-परीक्षा की थी, स्पष्ट रूप से यह कहा कि "मृत्यु-पूर्व की क्षतियां मुंह में कपड़ा ठूंस कर बंद करने के कारण कारित हुई थीं और शव को लटकाने की प्रक्रिया मरणोत्तर थी" ।

12. जीवन लाल (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि उसे अभियुक्त ओम प्रकाश द्वारा अपने मामा अनंत राम (अभि. सा. 3) को यह टेलीफोन करने के लिए धमकाया था कि मीना देवी घर से भाग गई है और इस धमकी के अधीन जीवन लाल (अभि. सा. 1) ने तद्नुसार अनंत राम (अभि. सा. 3) को सूचित किया था । तारीख 24 अगस्त, 2007 को 2.00 बजे पूर्वाह्न में अनंत राम (अभि. सा. 3) के गांव में आने के पश्चात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 पुलिस थाना, धर्मपुर गए और उन्हें मीना देवी के गुम होने के बारे में सूचित किया । मीना देवी अपने बालकों सहित अपने देवर/अभियुक्त के साथ रह रही थी । यदि मीना देवी इस प्रकार गुम हो गई थी, तो अभियुक्त का स्वाभाविक आचरण यह था कि वह पुलिस के साथ-साथ अनंत राम (अभि. सा. 3) को भी सूचित करता । किंतु ऐसा नहीं किया गया था । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को देखते हुए, यह भार अभियुक्त पर चला जाता है कि वह गृह-वासी होने के कारण निश्चयात्मक स्पष्टीकरण देता कि मीना देवी की मृत्यु कैसे हुई । अभियुक्त

---

[1] (2000) 1 एस. सी. सी. 471.
[2] (1998) 8 एस. सी. सी. 679.

द्वारा कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसने क्यों न तो शिकायत दर्ज की और न ही मीना देवी के गुम होने के बारे में सूचित किया । प्रत्यर्थी-अभियुक्त गृह-वासी होने के कारण मात्र चुपी साध कर और कोई स्पष्टीकरण न देकर बच नहीं सकता है । यह प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपराध में आलिप्त करने वाली एक मजबूत प्रतिकूल परिस्थिति है जिससे यह उपदर्शित होता है कि वह अपराध करने के लिए उत्तरदायी था ।

13. अभियुक्त से संबद्ध हेतु यह है कि वह प्रायिक तौर पर मृतका के साथ झगड़ा करता रहता था और उस पर हमला करता रहता था । किसी स्वामी नामक व्यक्ति की भूमि से संबंधित विवाद को भी इंगित किया गया है, जो अपनी संपत्ति एकमात्र रूप से मृतका मीना देवी को देना चाहता था और यह बात अभियुक्त को स्वीकार्य नहीं थी । इसके अलावा, अभियुक्त से संबद्ध एक अन्य हेतु उसका 1,20,000/- रुपए की सावधि जमा, जो तारीख 13 अगस्त, 2007 को मृतका को देय हो गई थी, के लिए लालच था । मृतका की ननद, अभि. सा. 15 बिंद्रा देवी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि जब कभी मीना देवी उसके घर आती थी, तो मीना देवी उसे अभियुक्त राजकुमार द्वारा उसे दी गई यातना के बारे में बताती थी । बिंद्रा देवी (अभि. सा. 15) ने अभियुक्त से संबद्ध हेतु के बारे में स्पष्ट रूप से कथन किया है । अभि. सा. 15 के साक्ष्य से यह पता चलता है कि अभियुक्त राजकुमार एक पुराना शराबी है । पहले भी प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने मीना देवी की पिटाई की थी और उसका मीना देवी के साथ उसे यह आश्वासन देते हुए एक समझौता हुआ था कि वह भविष्य में उसके साथ मारपीट नहीं करेगा । अभियुक्त से संबद्ध हेतु के बारे में अभि. सा. 15 के साक्ष्य का उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

14. जीवन लाल (अभि. सा. 1) ने अभियुक्त द्वारा 23 अगस्त, 2007 की रात्रि में मीना देवी पर हमला करने और उसके पश्चात् अभियुक्त तथा ओम प्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा अभि. सा. 1 को धमकी देने के बारे में स्पष्ट रूप से कथन किया है । विचारण न्यायालय ने, जिसके पास साक्षियों को देखने और उनके हाव-भाव का अवलोकन करने का अवसर था, यह अभिनिर्धारित किया है कि जीवन लाल (अभि. सा. 1) एक विश्वसनीय साक्षी है । जबकि उच्च न्यायालय ने जीवन लाल (अभि. सा. 1) के वृत्तांत पर इस आधार पर संदेह करके ठीक नहीं किया है कि अभि. सा. 1 ने अपने वृत्तांत में सुधार किए हैं । जीवन लाल (अभि. सा. 1) ने तारीख 25

अगस्त, 2007 के अपने कथन (प्रदर्श पी/ए) में अपराध कारित करने में अभियुक्त सं. 2 और 3 अर्थात् रमेश कुमार और ओम प्रकाश के भागीदार होने के संबंध में प्रकटन नहीं किया है । जीवन लाल (अभि. सा. 1) के साक्ष्य पर केवल इस कारण संदेह नहीं किया जा सकता है कि तारीख 25 अगस्त, 2007 को पेड़ से लटके मीना देवी के शव को उतारने के तुरंत पश्चात् अभिलिखित किए गए उसके कथन में रमेश कुमार और ओम प्रकाश के नामों का उल्लेख नहीं है । उस समय अभि. सा. 1 जिन परिस्थितियों में था, उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए । अभि. सा. 1 की आयु केवल 19 वर्ष थी । तारीख 23 अगस्त, 2007 की रात्रि में उसने अपनी माता के चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं जब उसकी पिटाई की गई थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 चौबीस घंटे से भी अधिक समय से अर्थात् तारीख 24 अगस्त, 2007 से 25 अगस्त, 2007 तक उसकी तलाश कर रहे थे और उन्हें उसे केवल मृत पाया था । अभि. सा. 1 को अभियुक्त ओम प्रकाश द्वारा पहले ही यह धमकी दी गई थी कि अनंत राम (अभि. सा. 3) को यह सूचित करे कि मीना देवी भाग गई है । तारीख 25 अगस्त, 2007 को जब अभि. सा. 1 का कथन अभिलिखित किया गया था, तब वह अवश्य ही सदमे और भय की मनोवृत्ति में होगा । ऐसी परिस्थितियों में, अपने कथन में ओम प्रकाश और रमेश कुमार के नामों का उल्लेख करने में हुए लोप से अभि. सा. 1 का साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता है । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने के उपरांत यह मत व्यक्त किया है कि अभि. सा. 1 के साक्ष्य से न्यायालय का विश्वास प्रेरित होता है । जबकि, हमारे मत में, उच्च न्यायालय को अभि. सा. 1 के वृत्तांत और उसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं करना चाहिए था ।

15. किसी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय, अवश्य ही यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि साक्षी का साक्ष्य, समग्र रूप से परिशीलन करने पर, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विश्वासप्रद प्रतीत होता है या नहीं । जब एक बार यह धारणा बन जाती है, तब न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की संवीक्षा, विशिष्ट रूप से साक्ष्य में उल्लिखित त्रुटियों और कमियों को ध्यान में रखते हुए, करे और यह पता लगाने के लिए उनका मूल्यांकन करे कि क्या यह अभियोजन पक्ष के साधारण पक्षकथन के विरुद्ध तो नहीं है । जीवन लाल (अभि. सा. 1) मृतका मीना देवी का पुत्र है जो उसके और अभियुक्त के साथ उसी मकान में रह रहा था और वह घटना के बारे में कथन करने के लिए एक स्वाभाविक साक्षी

है । अभि. सा. 1 का साक्ष्य निश्चयात्मक और स्वाभाविक है और अभियोजन पक्षकथन के संगत है । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर उसके द्वारा किए गए अभिकथित सुधारों के आधार पर संदेह करके और इस आधार पर उसके साक्ष्य को नामंजूर करके ठीक नहीं किया है कि उसमें कई सुधार किए गए हैं ।

16. जैसा कि सेशन न्यायाधीश द्वारा उल्लेख किया गया है, मृतका मीना देवी अंतिम बार अभियुक्त राजकुमार के साथ जीवित देखी गई थी और अभियुक्त ने मृतका मीना देवी की गुमशुदगी के बारे में समाधानप्रद रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया है और यह बात अभियुक्त के विरुद्ध एक मजबूत प्रतिकूल परिस्थिति है । मीना देवी, जो अभियुक्त के साथ उसी मकान में रह रही थी, और अंतिम बार अभियुक्त के साथ जीवित देखी गई थी, इसलिए उसको यह स्पष्ट करना चाहिए था कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई । अभियुक्त के पास कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं था कि मीना देवी का शव पेड़ से लटकते हुए क्यों पाया गया था । जैसा कि **काशीराम** (उपरोक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, यह स्पष्ट करने का भार अभियुक्त पर है कि मृतका के साथ क्या घटित हुआ था । यदि अभियुक्त उस तथ्य को स्पष्ट नहीं करता है, जो उसकी जानकारी में है, तो कोई स्पष्टीकरण देने में उसकी असफलता उसके विरुद्ध एक मजबूत प्रतिकूल परिस्थिति होगी ।

17. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त से पूछे गए प्रश्न में उसने अपराध में आलिप्त करने वाली परिस्थिति के साक्ष्य से मात्र इनकार किया और यह अभिवाक् किया कि वह निर्दोष है । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह सुझाव देने के लिए यह कमजोर प्रयास किया गया कि मृतका ने विष खा लिया था और आत्महत्या की थी । मृतका मीना देवी का विसरा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, तुंगंद भेजा गया था । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मृतका के विसरा में कोई विष नहीं पाया गया था । हमारे सुविचारित मत में, विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा सुझाए गए अभिवाक् को ठीक ही नामंजूर किया है ।

18. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब दोषसिद्धि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो, तो परिस्थितियों की शृंखला में कोई दरार नहीं रहनी

चाहिए और अभियुक्त संदेह के फायदे का हकदार होता है । प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष ने निश्चयात्मक और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा इन परिस्थितियों को सिद्ध किया है – (i) हेतु (अभि. सा. 15 का साक्ष्य) ; (ii) अभियुक्त ने मृतका की पिटाई की थी और कहीं ले गया था (अभि. सा. 1 का साक्ष्य) ; (iii) मीना देवी की मृत्यु मानव वध है (अभि. सा. 24 का साक्ष्य) ; (iv) मृतका मीना देवी की गुमशुदगी के बारे में पुलिस को रिपोर्ट न करने में अभियुक्त का आचरण ; और (v) मृतका की मृत्यु के बारे में अभियुक्त के स्पष्टीकरण का अभाव । अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियां निश्चयात्मक और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित की गई हैं । परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर एक पूर्ण शृंखला बनती है, जिससे इंगित होता है कि हत्या अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी, किसी अन्य द्वारा नहीं ।

19. अपील में, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य, अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य के अंतर्निहित महत्व और अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध की गई प्रबल परिस्थितियों का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है । उच्च न्यायालय ने काल्पनिक संदेहों को ग्रहण किया है और जीवन लाल (अभि. सा. 1) के विश्वसनीय साक्ष्य को कमजोर आधारों पर नामंजूर किया है । उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का गलत मूल्यांकन करने के कारण दोषसिद्धि को अपास्त किया और न्याय की हानि की है । अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्काधार असंधार्य है और आक्षेपित निर्णय को संधार्य नहीं रखा जा सकता है ।

20. परिणामतः, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और यह अपील मंजूर की जाती है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश की अभिपुष्टि की जाती है । प्रत्यर्थी को शेष कारावास भुगतने के लिए अभिरक्षा में लिया जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.